न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डार,(स0मा0)

पीठासीन अधिकारीः— सीमा खेतान (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
06 / 2024	17.05.2024	18.03.2025

रिंकूमल पुत्र चतरू जाति मीना निवासी पीलल्दा तहसील खण्डार जिला स0मा0।

प्रार्थी

बनाम

सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील खण्डार।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :—

श्री अंजनी तेहरिया, धर्मेन्द्र चौधरी वकील प्रार्थी की ओर से

निर्णय

1. प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र भू—राजस्व अधिनियम की धारा 136 का इस आशय का पेंश किया गया। जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है। प्रार्थी के पिता चतरू मीना के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि आराजीयात खसरा नम्बर 51 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 120 रकबा 2 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 325 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा खसरा नम्बर 548 रकबा 03 बिस्वा खसरा नम्बर 817 रकबा 4 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 818 रकबा 03 बिरवा कुल किता 06 कुल रकबा 12 बीघा 13बिस्वा वाके ग्राम पीपल्दा तहसील खण्डार मे स्थित है। प्रार्थी के पिता चतरू की मृत्यु उपरान्त उक्त आराजीयात प्रार्थी के पिता चतरू के हिस्से की आराजीयात का विरासत का नामान्तरकरण खोला गया। उक्त नामान्तरकरण मृतक चतरू के चार नाबालिग पुत्र महावीर, बृजेश, रामवीर, टिंकू तथा मृतक चतरू की बेवा कपूरी के नाम भरकर खोला गया। उक्त नामान्तरकरण मे रिंकूमल की जगह टिकू हो गया तथा वहीं जमाबन्दी मे अंकन हो गया। प्रार्थी अपने हिस्से मे आयी जमीन पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी कई दिनों से अपना नाम टिंकू की जगह रिंकूमल का अंकन करवाने के लिए रेवेन्यू अधिकारियों के पास गया लेकिन उन्होने रेवेन्यू रिकार्ड मे प्रार्थी का नाम शुद्धिकरण कर अंकन नहीं किया। उसके उपरान्त प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र माननीय अध्यक्ष महोदय तालुका विधिक सेवा समिति खण्डार के समक्ष प्रस्तुत किया। माननीय अध्यक्ष महोद[illegible] प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार खण्डार से उक्त संदर्भ मे रिपो[illegible] द्वारा पटवारी हल्का व गिरदावर से रिपोर्ट चाही गई। [illegible] द्वारा तहसीलदार खण्डार को दिनांक 14.09.2023 को रिपोर्ट पेश की। उक्त रिप[illegible] में स्पष्ट अंकन है कि चतस्या उर्फ चतरू के विरासत का नामान्तरकरण दर्ज किया जिसमें रिंकू के नाम की जगह टिंकू दर्ज हो गया था। जबकि रिंकू आवेदक का सही नाम है। टिंकू व रिंकू

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2025.09.08 13:58:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (सवाई माधोपुर)

दोनो एक ही व्यक्ति के है। रिंकू के स्कूली दस्तावेज मार्कशीट आधार कार्ड राशन कार्ड में रिंकू ही दर्ज है। जबकि राजस्व रिकार्ड में टिंकू दर्ज है। नाम की भिन्नता होने के कारण प्रार्थी को राजकीय योजनाओं का लाभ नही मिल पा रहा है। उसके उपरान्त तहसीलदार खण्डार द्वारा उक्त रिपोर्ट प्राप्त कर दिनांक 22.09.2023 को माननीय अध्यक्ष महोदय तालुका विधिक सेवा समिति खण्डार के समक्ष पेश की। उक्त रिपोर्ट मे भी उक्त पटवारी हल्का एवं गिरदावर रिपोर्ट की पुष्टि कर भेजी गई। तथा अंकन किया कि प्रार्थी सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है। उसके उपरान्त उक्त रिपोर्टों का अवलोकन कर कार्यालय तालुका विधिक सेवा समिति खण्डार अध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 22.09.2023 को प्रार्थी को सूचनार्थ पत्र जारी किया। उसके उपरान्त बादी ने दिनांक 06.03.2024 को नकल जमाबन्दी निकलवाकर उक्त बाद पत्र श्रीमानजी के समक्ष पेश करना लाजमी आया। प्रार्थी का नाम रेवेन्यू रिकार्ड मे टेकनिकल मिस्टेक की वजह से रिकूमल की जगह टिकू दर्ज हो गया है। जिसे दुरुस्त किया जाकर धारा 136 एल.आर एक्ट के अन्तर्गत वादी का नाम रिंकूमल का अंकन रेवेन्यू रिकार्ड में किया जाना न्यायोचित है।

2. प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को कार्यालय रिपोर्ट उपरान्त दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जिसका संक्षिप्त विवरण है कि प्रार्थी की ग्राम पीपलदा के आराजी खसरा नम्बर 51, 120, 325, 548, 817, 818 किता 6 रकबा 12 बीघा 13 बिस्वा व ग्रम बोहना में 585/2, 636, 1053/763 किता 03 रकबा 15 बीघा 10 बिस्वा खातेदारी हिस्से में दर्ज है, जबकि नाम दुरूस्त के लिए ग्राम पीपल्दा की भूमि का ही अंकन है। प्रार्थी के पिता चतरया पुत्र गोपाल की मृत्यु पश्चात् ग्राम पीपल्दा नामा0 संख्या 892 दिनांक 26.05.1992 व ग्राम बोहना नामा0 संख्या 882 दिनांक 20.05.2004 से विरासत का नामा0 स्वीकार हुआ, जिसमें प्रार्थी का नाम टिंकू दर्ज है। वर्तमान जमाबन्दी में भी टिंकू ही चला आ रहा है। स्कूल दस्तावेज व अन्य कागजात में रिंकूमल दर्ज है। रिंकू एवं टिंकू दोनो एक ही व्यक्ति है। दोनो एक ही व्यक्ति होने से राजस्व रिकार्ड में टिंकू की जगह रिंकूमल किये जाने की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

3. प्रार्थी वकील द्वारा पत्रावली में अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार बहस करते हुए अवगत कराया गया है कि प्रार्थी के पिता चतरू की मृत्यु उपरान्त ग्राम पीपलदा आराजीयात खसरा नम्बर 51 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 120 रकबा 2 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 325 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा खसरा नम्बर 548 रकबा 0[illegible] खसरा नम्बर 817 रकबा 4 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 818 रकबा 03 बिस्वा कुल [illegible] कुल रकबा 12 बीघा 13बिस्वा वाके ग्राम पीपल्दा तहसील खण्डार की विरासत का नामान्तरकरण खोला गया। उक्त नामान्तरकरण रिंकूमल की जगह टिंकू जमाबन्दी [illegible] अंकन हो गया। तहसीलदार की रिपोर्ट का कथन करते हुए बताया गया है कि टिंकू व रिंकूमल

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Khe
Date: 2025.09.08 13:58:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (सवाई माधोपुर)

एक ही व्यक्ति है। राजस्व रिकार्ड में उक्त टिंकू के स्थान पर रिंकूमल नाम दुरूस्त किया जावें।

4. पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया, बहस वकील प्रार्थीगण सुनी गई। पत्रावली में संलग्न मौजूदा ग्राम पाली की जमाबन्दी सम्बत 2074–2077 आराजीयात खसरा नम्बर 51 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 120 रकबा 2 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 325 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा खसरा नम्बर 548 रकबा 03 बिस्वा खसरा नम्बर 817 रकबा 4 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 818 रकबा 03 बिरवा कुल किता 06 कुल रकबा 12 बीघा 13बिस्वा वाके ग्राम पीपल्दा तहसील खण्डार मे प्रार्थी का नाम टिंकू अंकित है। तहसीलदार खण्डार की रिपोर्ट के अनुसार टिंकू व रिंकूमल एक ही व्यक्ति है। उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर टिंकू के स्थान पर रिंकूमल नाम दुरूस्त किया जाना न्यायोचित समझती हूँ।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 स्वीकार किया जाता है। ग्राम पीपलदा आराजीयात खसरा नम्बर 51 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 120 रकबा 2 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 325 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा खसरा नम्बर 548 रकबा 03 बिस्वा खसरा नम्बर 817 रकबा 4 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 818 रकबा 03 बिरवा कुल किता 06 कुल रकबा 12 बीघा 13 बिस्वा में प्रार्थी का नाम टिंकू के स्थान पर रिंकूमल राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

यह निर्णय आज दिनांक 18.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में लिखाया जाकर, सुनाया गया ।

(सीमा खेतान)
उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (स.मा.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Khet
Date: 2025.09.08 13:58:41 IST
Reason: SelfAttested